

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11831/ 3913

दिनांक :- 22-7-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती/ सुश्री अजय कुमार [लिंक न. 11831] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, पदमपुर, श्रीगंगानगर - [10769] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08/06/2018 से 28/06/2018 तक 21 दिवस (चिकित्सा उद्देश्य के आधार पर)

दिनांक 03/07/2018 से 25/07/2018 तक 23 दिवस

दिनांक 27/05/2019 से 21/06/2019 तक 26 दिवस

कुल 70 दिवस

उक्त कुल 70 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री अजय कुमार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

lm h
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11831/ 3913

दिनांक :- 22-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, पदमपुर, श्रीगंगानगर
2. कोषाधिकारी श्रीगंगानगर
3. श्री /श्रीमती/ सुश्री अजय कुमार [11831] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, पदमपुर, श्रीगंगानगर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

h
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)